



सं० संख्या:-5/प्रशि०(प्रशि०)-06/2021

401

झारखण्ड सरकार

15/3/2021

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

आदेश

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- DGE&T/19/19/2012 CD-PT दिनांक 20.12.2014 के आलोक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत SCVT/NCVT से संचालित मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों से लिये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए) निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ोत्तरी अनुमान्य होगी।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए:-

क्रमांक	व्यवसाय	वर्ष 2020 के लिए प्रभावी शिक्षण शुल्क
1	इंजिनियरिंग	रु० 20,250/वर्ष
2	नन-इंजिनियरिंग	रु० 16,200/वर्ष

शहरी क्षेत्रों के लिए:-

क्रमांक	व्यवसाय	वर्ष 2020 के लिए प्रभावी शिक्षण शुल्क
1	इंजिनियरिंग	रु० 22,275/वर्ष
2	नन-इंजिनियरिंग	रु० 17,820/वर्ष

- ग्रामीण क्षेत्रों के इंजिनियरिंग व्यवसाय हेतु जबतक कोई अगला आदेश न हो तबतक प्रत्येक वर्ष में रुपये 1050 की बढ़ोत्तरी होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के नन-इंजिनियरिंग व्यवसाय हेतु जबतक कोई अगला आदेश न हो तबतक प्रत्येक वर्ष में रुपये 840 की बढ़ोत्तरी होगी।
- शहरी क्षेत्रों के लिए इंजिनियरिंग व्यवसाय हेतु जबतक कोई अगला आदेश न हो तबतक प्रत्येक वर्ष में रुपये 1155 की बढ़ोत्तरी होगी।
- शहरी क्षेत्रों के लिए नन-इंजिनियरिंग व्यवसाय हेतु जबतक कोई अगला आदेश न हो तबतक प्रत्येक वर्ष में रुपये 924 की बढ़ोत्तरी होगी।
- जिन आईटीआई का ग्रेडिंग 4 या 5 है उन्हें सामान्य से 20 प्रतिशत से अधिक शुल्क लेना अनुमान्य है।
- पूर्व में निर्गत सभी आदेश निर्गत की तिथि से रद्द समझे जायेंगे।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा।
इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15/03/2021

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु०)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-5/प्रशि०(प्रशि०)-06/2021 401

राँची, दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि :- सभी संचालक/निदेशक/प्राचार्य/ प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड/
सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (मु०)/ सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/ परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त प्रशिक्षण भवन, हेहल,
राँची / नामांकन पटल प्रशिक्षण पक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।


15/03/2021

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु०)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-5/प्रशि0(प्रशि0)-06/2021 401

प्रतिलिपि :- निदेशक कोषांग, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सचिव कोषांग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक 15/3/2021



15/03/2021

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-5/प्रशि0(प्रशि0)-06/2021 401

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री (श्रम) के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

राँची, दिनांक 15/3/2021


15/03/2021

उप निदेशक प्रशिक्षण(मु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।